न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 32/23 GCMS NO 2023/91

1. गिलासी पुत्र जौहरीलाल
2. बतासी पुत्र कोरया
3. बाबूलाल पुत्र कोरया
4. रमेश चंद पुत्र कोरया
5. रामकेश पुत्र जौहरीलाल
6. रामगोपाल पुत्र जौहरी लाल जातियान मीना निवासीयान ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी

बनाम

1. गोविन्द सहाय पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. रामचरण पुत्र मिश्रया मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. अनिता पुत्री जलधारी पत्नि रमेश मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. तारावती पत्नि छुटटन लाल मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगुपर सिटी
5. प्रकाश पुत्र किशोर मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. रजनीता पुत्री छुटटनलाल जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. विकास पुत्र छुटटन लाल
8. कपिल पुत्र छुटटन लाल नाबालिग जरिये संरक्षक माँ तारावती पत्नि छुटटनलाल मीना निवासी ताजपुर
9. महीपाल पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
10. हरिप्रसाद पुत्र जोहरी लाल जाति मीना निवासी ग्राम जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो./वादीगण

11. बनेसिह पुत्र नवल मीना निवासी चूली तहसील गंगुपर सिटी
12. भरतलाल पुत्र नवल मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
13. भगवानदास पुत्र कमल जाति मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
14. सुशील पुत्र कमल मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
15. सोमोती पत्नि नवल मीना निवासी चूली (मृतक)
16. पांच्या पुत्र भौरया माली निवासी महूकलां(मृतक)
17. स्वरूप पुत्र पांच्या माली निवासी महूकलां
18. रंगलाल पुत्र भौरया माली निवासी महूकलां (मृतक)
19. खिलारी पुत्र रंगलाल
20. श्यामलाल पुत्र रंगलाल
21. रूपलाल पुत्र रंगलाल
22. बत्तीलाल पुत्र रंगलाल
23. सन्तोष पुत्र रंगलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

24. गुलाब बेवा रंगलाल जातियान माली निवासीयान महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
25. हजारी पुत्र भोरया माली निवासी महूकलां (मृतक)
26. बुंधराम पुत्र हजारी माली निवासी महूकलां
27. ओमप्रकाश पुत्र नवल जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
28. भारतीय स्टेट बैंक शाख मुख्य बाजार गंगापुर सिटी
29. ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बामनवास
30. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी
31. बैंक आफ बडोदा शाखा कालेज रोड गंगापुर सिटी
32. सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

.... रैस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 7 से 21

अपील संख्या - 32/23 **GCMS NO 2023/91**

1. गिलासी पुत्र जौहरीलाल
2. रामगोपाल पुत्र जौहरी लाल
3. रामकेश पुत्र जौहरीलाल
4. बतासी पुत्र कोरया
5. बाबूलाल पुत्र कोरया
6. रमेश चंद पुत्र कोरया जातियान मीना निवासीयान ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी

बनाम

1. अनिता पुत्री जलधारी पत्नि रमेश मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. ओमप्रकाश पुत्र नवल जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. कपिल पुत्र छुटटन लाल
4. विकास पुत्र छुटटन लाल
5. गोविन्द सहाय पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. अमरी पुत्री मिश्रया मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. गल्ला पुत्री मिश्रया मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
8. गिन्दोडी पुत्री मिश्रया मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
9. मल्ली देवी पुत्री मिश्रया मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
10. तारावती पत्नि छुटटन लाल मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगुपर सिटी
11. प्रकाश पुत्र किशोर मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
12. भगवानदास पुत्र कमल जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
13. भरतलाल पुत्र नवल मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
14. महीपाल पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
15. रजनीता पुत्री छुटटनलाल जाति मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
16. रामचरण पुत्र मिश्रया मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

17. बनेसिह पुत्र नवल मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
18. सुशील पुत्र कमल मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
19. सोमोती पत्नि नवल मीना निवासी चूली (मृतक)
20. गिर्राज पुत्र सांवलियां जाति मीना निवासी खडी की डोगरी के पास ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
21. हरिप्रसाद पुत्र जोहरी लाल जाति मीना निवासी ग्राम जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली
22. केनरा बैंक शाखा गंगापुर सिटी
23. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी
24. ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बामनवास
25. भारतीय स्टेट बैंक शाख मुख्य बाजार गंगापुर सिटी
26. बैंक आफ बडोदा शाखा कालेज रोड गंगापुर सिटी
27. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक डेयरी चौराहा गंगापुर सिटी
28. सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

.... रैस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.2023

मु0नं0 53/21 व 43/21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री गोपाल लाल शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मो0इस्लाम खान

दिनांक 30.09.2024

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.2023 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण/ वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम ताजपुर मे खाता संख्या 64 के खसरा न0 165 रकबा 31 ऐयर खाता संख्या 28 के ख0न0 473 रकबा 95 ऐयर, ख0न0 475 रकबा 65 ऐयर, 478 रकबा 2.25 है0 खाता संख्या 3[illegible] ख0न0 173 रकबा 1.06 है0 174 रकबा 12 ऐयर खाता संख्या 162 के खसरा न0 110 रकबा 1.11 है0 ख0न0 [illegible] 30 ऐयर 137 रकबा 23 ऐयर 138 रकबा 83 ऐयर 139 रकबा 90 [illegible] रकबा 90 ऐयर 161 रकबा 40 ऐयर 162 रकबा 1.22 है0 खाता संख्या 30 के ख0 [illegible] रकबा 69 ऐयर 132 रकबा 70 ऐयर 133 रकबा 56 ऐयर 135 रकबा 33 ऐयर खाता संख्या 29 के ख0न0 474 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

होगा तो परिवर्तन पते का सूचना पत्र समक्ष करूंगा। दिनांक.........सन्.............ई.

Scanned with CamScanner

80है0 489 रकबा 28 ऐयर 490 रकबा 4 ऐयर 491 रकबा 1.77 है0 492 रकबा 94 ऐयर 493 रकबा 55 ऐयर 494 रकबा 1.17 है0 495 रकबा 1.20 है0 ग्राम ताजपुर में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा ख0न0 163 रकबा 1.10 है0 164 रकबा 1.46 है0 168 रकबा 1.29 है0 170 रकबा 4 ऐयर 171 रकबा 1.30 है0 172 रकबा 32 ऐयर 224 रकबा 16 ऐयर 225 रकबा 18 ऐयर 265 रकबा 14 ऐयर 266 रकबा 14 ऐयर 267 रकबा 77 ऐयर 282 रकबा 53 ऐयर 283 रकबा 87 ऐयर 284 रकबा 25 ऐयर 290 रकबा 53 ऐयर ग्राम ताजपुर जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है जिसमें वादीगण 1/2 हिस्से के सहखातेदार है। उक्त आराजीयात मे ख0न0 165 रकबा 31 ऐयर मे प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 हिस्सा है। खाता संख्या 28 के खसरा न0 473,475,476 मे वादी गिलासीराम का 1/6, बतासी का 1/12 बाबूलाल का 1/12 रमेश चंद का 1/12 रामकेश व जौहरी लाल का 1/6, 1/6 हिस्सा कुल 9/12 यानि 3/4 हिस्सा है तथा खाता संख्या 35 के खसरा न0 173,174 मे प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 कुल 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 162 के खसरा न0 110,136,137,138,139,140,141,161,162 मे प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 कुल 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 30 के खसरा न0 130,131,132,133,135 मे प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 यानि 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 29 के ख0न0 474,489,490,491,492,493,494,495 मे प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 यानि 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। वाकी हिस्सा प्रतिवादीगण का है। उक्त आराजीयात का विभाजन नही हुआ है। प्रत्येक सहखातेदार अपनी सुविधा अनुसार कम ज्यादा भूमि पर काश्त कर रहे है तथा कुछ भूमि खाली बंजड छोड रखी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से काफी बार भूमि का सरस नरस से बंटवारा करने को कहॉ तो उन्होने बंटवारा करने से इंकार कर दिया तथा कहा कि वो उक्त भूमि मे अपनी इच्छा अनुसार मकान बनायेगे बोरिंग करायेगे तथा वादीगण को बेदखल करेगे। यह वाद कारण होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे का वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण का वाद पत्र खसरा न0 165 रकबा 31 ऐयर, ख0न0 473 रकबा 95 ऐयर ,475 रकबा 65 ऐयर , 478 रकबा 2.25 है0, 173 रकबा 1.06 है0 , 174 रकबा 12 ऐयर ,137 रकबा 23 ऐयर , 138 रकबा 88 ऐयर, 139 रकबा 90 ऐयर , 140 रकबा 82 ऐयर , 141 रकबा 90 ऐयर , 161 रकबा 40 ऐयर, 162 रकबा 1.22 है0 , 130 रकबा 70 ऐयर , 131 रकबा 69 ऐयर , 132 रकबा 70 ऐयर , 133 रकबा 56 ऐयर , 135 रकबा 33 ऐयर, 474 रकबा 1.80 है0 , 489 रकबा 28 ऐयर , 490 रकबा 4 ऐयर, 491 रकबा 1.77 है0, 492 रकबा 94 ऐयर , 493 रकबा 55 ऐयर , 494 रकबा 1.17 है0 , 495 रकबा 1.20 है0 , 163 रकबा 1.10 है0 , 164 रकबा 1.46 है0 , 168 रकबा 1.29 है0, 170 रकबा 4 ऐयर , 171 रकबा 1.30 है0 , 172 रकबा 32 ऐयर , 224 रकबा 16 ऐयर , 225 रकबा 18 ऐयर , 265 रकबा 14 ऐयर , 266 रकबा 14 ऐयर , 267 रकबा 77 ऐयर , 282 रकबा 53 ऐयर , 283 रकबा 87 ऐयर , 284 रकबा 25 ऐयर , 290 रकबा 53 ऐयर ग्राम ताजपुर का सरस नरस बंटवारा किया जाकर प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 हिस्से को अलग ... कायम कर नक्शा ट्रेस मे तरमीम की जावे। खसरा न0 473 रकबा 95 ऐयर , 475 रकबा ... ऐयर , 478 रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम ताजपुर का सरस नरस तरीके से बटवारा किया जाकर प्रत्येक वादीगण का 1/6 , 1/6 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का अलग अलग खाते कायम किये जाकर नक्शे मे तरमीम की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि बिना बंटवारे के कोई मकान या अन्य निर्माण कार्य नही करे कृषि भूमि को अकृषि भूमि मे परिवर्तित नही करे तथा वादीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्देशानुसार विभाजन स्कीम तहसीलदार गंगापुर सिटी को 1000/–रूपये की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट चाही जाकर प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक डिकी मिटस एवं बाउन्ड्स के अनुसार नही करने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया रैस्पो0 को नोटिस जारी किये, तहत रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 की और सें श्री मो0इस्लाम एड0 ने दिनांक 28.5.24 को न्यायालय हाजा मे कोस आपत्ति पेश की गई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री गोपाल लाल शर्मा ने दिनांक 10.6.2024 को अपील को आगे नही चलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दोनो प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता अपीलांट श्री गोपाल लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत "अपील को आगे नही चलाने "पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पो0 को कोई ऐतराज नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलांट की अपील विड्रा की जाती है।

तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कास आपत्ति पर सुनी गई।

कास आपत्ति पर अधिवक्ता श्री मो0इस्लाम का कथन रहा कि पक्षकारान के मध्य अरसा करीब 60 वर्ष से पूर्वजो के समय से ही विवादित भूमि का मौके पर बंटवारा हो गया तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से पर पक्के मकानात बनाकर निवास कर रहे है एवं सिचाई हेतु बोरिंग खुदवाई जा चुकी है। विधुत कनेक्शन भी अपने अपने नाम ले रखे है। ग्रीन हाउस भी बना रखे है भैसो हेतु तबेले बना रखे है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट कब्जे के आधार पर बनाई गई है यदि कब्जे के आधार पर मौका रिपोर्ट नही बनाई जाती है तो वाद की वाहुलता बढती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18.7.21 मे स्पष्ट उल्लेख है कि विवादित भूमि का खातेदार एवं ग्रामवासियो की मौजूदगी मे मौका देखा गया है। पक्षकारान के मध्य अर्सा करीब 60 वर्ष पूर्व मौखिक बंटवारा हो जाने के कारण ही अपने अपने हिस्से पर पक्के मकान बनाये गये है यदि पूर्वजो के समय बंटवारा नही होता तो कोई भी सहखातेदार बिना बंटवारे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान नही करता। अपीलांटान अच्छे किस्म की भूमि को अपने नाम करवाना चाहते है इस कारण ही अपील गलत रूप से पेश की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति के संबंध मे रिपोर्ट प्राप्त कर ही पुराने कब्जे को ध्यान मे रखते हुए प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ही बंटवारा किया गया है। जिस पर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आपत्ति नही उठाई गई यदि उनको बंटवारा स्कीम पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

होगा तो परिवर्तन पते का सूचना पत्र समक्ष करूंगा। दिनांक 10-04-2023 सन्...........ई.

Scanned with CamScanner

आपत्ति होती तो उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थी। इस प्रकार प्रार्थी की कास आपत्ति स्वीकार फरमाई जावे।

कास आपत्ति पर अधिवक्ता श्री गोपाल लाल शर्मा का कथन रहा कि तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है वह साठगाढ कर बनवाई गई है मौका रिपोर्ट मे सडक के किनारे वाली भूमि को रेस्पो0/कास आपत्तिकर्ता ने अपने नाम दर्ज करवाई है। कास आपत्ति केवल मात्र प्रकरण को लम्बा चलाने के उद्वेश्य से पेश की गई है। पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है उस पर किसी भी पक्षकार एवं ग्रामवासियो के हस्ताक्षर नही है। केवला मात्र कास आपत्तिकर्ता के पक्षकारो से मिलकर की मौका रिपोर्ट बनाई गई है। अतः कास आपत्ति खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात पर सहखातेदारो के पुख्ता मकान, बोंरिग, ग्रीन हाउस तथा भैसो के तबले बने हुए है। जो संलग्न नजरी नक्शे से स्पष्ट है। मौका रिपोर्ट दिनांक 18.7.21 मे खातेदार एवं ग्रामवासियो की माजूदगी मे मोका रिपोर्ट बनाये जाने का उल्लेख अंकित है। कास आपत्तिकर्ता का यह तथ्य कि बिना सहाखातेदार की सहमति के एवं बिना विभाजन के मौके पर कोई भी खातेदार कब्जेशुदा भूमि पर पक्का निर्माण नही कर सकता है इससे मै सहमत हूँ। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलो को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गये है जिसे स्वीकार कर अपीलांट की अपीले विड्रा की गई है। कास आपत्तियो की बहस मे मुख्य विवाद मौका रिपोर्ट दिनांक 18.7.21 को लेकर सामने आया है। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कास आपत्तियां आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 53/21 व 43/21 निर्णय व डिकी दिनांक 13.1.2023 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सहखातेदारो के पक्के निर्माण, बोंरिग व पुराने कब्जे को ध्यान मे रखते हुए राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की रोशनी मे पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष दिनांक 04.11.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियों मे पृथक पृथक शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

30/9/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner